न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 101/2022

अनवान :

बाघवीर पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ तहसील भादरा।
2. दलीपसिंह पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
3. बाधोदेवी पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
4. फुलोदेवी पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
5. बिमला पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
6. सन्तोष पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भानगढ के खाता सं0 104/182 के खसरा सं0 21, 22, 224, 225, 227, 228, 291, 292, 359, 360, 40, 41 कुल खसरा 12 की 13.4810है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भगवानाराम के नाम 4494/13481 हिस्सा दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भगवानाराम की बजाय वादी बाघवीर, प्रतिवादी सं0 1 भगवानाराम व प्रतिवादी सं0 2 दलीपसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner